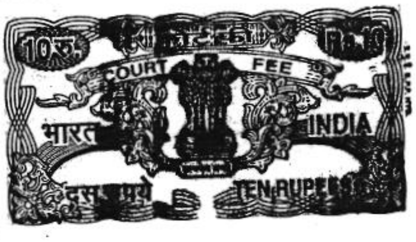

548

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

निगरानी/मुरैना/भू.रा./2017/4860

प्रकरण क्रमांक /२०१७- निगरानी

१- नसीम बानो पत्नी अब्दुल जमील खां,

२- प्रकाश पुत्र बाबूसिंह,

३- शिशुपाल पुत्र बाबू

समस्त निवासी गण ग्राम उरहाना, तेहसील व जिला मुरैना-मध्यप्रदेश ।

------- प्रार्थीगण

विरुध्द

१- मध्यप्रदेश शासन ---- प्रतिप्रार्थी

निगरानी विरुध्द आदेश कलेक्टर महोदय, मुरैना दिनांकी २९-९-१७ अन्तर्गत धारा ५० मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९। प्र०क्र० १०/१५-१६ स्वमेव निगरानी ।

श्रीमान् जी,

निगरानी का प्रार्थना-पत्र निम्न आधारों पर प्रस्तुत है :-

१- यह कि, कलेक्टर महोदय की आज्ञा कानूनन सही नहीं है ।

२- यह कि, कलेक्टर महोदय को प्रकरण के स्वरूप एवं कानूनी स्थिति को सही नहीं समझा है ।

३- यह कि, तहसीलदार महोदय के प्र०क्र० २१०६-०७-अ-१९ में पारित आदेश दिनांक १२-११-०६ जिसके विरुध्द स्वमेव निगरानी का प्रकरण पंजीवध्द किया जाकर विवादित आदेश पारित किया गया है, के अभिलेख को आहुत किये बिना एवं अभिलेख का अवलोकन किये बिना ही मात्र प्रस्तुत प्रतिवेदन को ~~अधिकार~~ आधार मानकर कलेक्टर महोदय ध्दारा पारित विवादित आदेश विधिक एवं प्रक्रिया के विरुध्द होने से निरस्ती योग्य है ।

४- यह कि, प्रतिवेदन कानूनन कोई साक्ष्य नहीं है । प्रतिवेदन को साक्ष्य से सिध्द भी नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में कानूनन प्रतिवेदन के आधार पर ...

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/मुरैना/भू.रा./2017/4860

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.के. अवस्थी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 25.4-19 को आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	